भारत सरकार

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1474

दिनांक 01.01.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की समीक्षा और कार्यान्वयन

1474. श्री माजीद मेमनः

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की समीक्षा की थी;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं;
(ग) गत दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत प्राप्त सफलता का महाराष्ट्र सहित राज्य–वार ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या यह सच है कि 1.25 लाख से अधिक ग्रामीण जनसंख्या को रसायन संदूषित जल पीने को मजबूर किया जाता है;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में किए जा रहे सुधारात्मक उपाय क्या हैं; और
(च) गत दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान जारी की गई और उपयोग की गई निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री एस.एस. अहलूवालिया)

(क) और (ख) जी हां। ग्रामीण आबादी को पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराना एक गतिशील और सतत् प्रक्रिया है। एनआरडीडब्ल्यूपी की वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति की राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/राज्य स्तरीय समीक्षा बैठकों, सम्मेलनों और विडियो कॉन्फ्रेंसों में निगरानी की जाती है। मंत्रालय ने एनआरडीडब्ल्यूपी के पुनर्गठन पर हाल ही में हर घर जल के लिए रोडमैप और राज्यों में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र में अपनाई गई उत्तम रीतियों पर एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला चलाई। इसके अलावा, मंत्रालय ने पुनर्गठित एनआरडीडब्ल्यूपी दिशा-निर्देश के अनुसार प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए हाल ही के वीडियो सम्मेलन के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से वार्ता की।

(ग) दिनांक 27.12.2017 की स्थिति के अनुसार राज्यों द्वारा एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर दी गई सूचना अनुसार पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सहित लक्ष्य और उपलब्धियों का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-1** में है।

(घ) और (ड.) दिनांक 28 दिसबंर, 2017 की स्थिति के अनुसार मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार रसायनिक संदूषण (फ्लोराइड, आर्सेनिक, लौह तत्व, लवणता, नाइट्रेट और भारी धातु) से प्रभावित आबादी वाले बसावटों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या **अनुलग्नक-2** में है।

ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। यह मंत्रालय, ग्रामीण आबादी तक सुरक्षित पेयजल पहुँचाने के कवरेज में सुधार लाने के लिए, केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के जरिए राज्यों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों को पूरा करता है। राज्य सरकारें ही ग्रामीण आबादी तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए स्कीमों की आयोजना, डिजाइनिंग, अनुमोदन, निष्पादन और प्रचालन व रख-रखाव करती हैं। एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत राज्यों को उपलब्ध कराई गई निधियों का उपयोग आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बसावटों को प्राथमिकता देते हुए, जल गुणवत्ता की समस्याओं के कवरेज और उनके निपटान के लिए किया जा सकता है।

आर्सेनिक और फ्लोराइड संदूषण से निपटने के लिए, 1,327 आर्सेनिक और 12,014 फ्लोराइड प्रभावित बसावटों में, नीति आयोग की अनुशंसा पर, भारत सरकार ने सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रों की कमीशनिंग हेतु मार्च, 2016 में 800 करोड़ रू जारी किए हैं, ताकि पीने और खाना बनाने की जरूरतों हेतु स्वच्छ जल तुरंत उपलब्ध कराया जा सके। इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में सतही जल आधारित नल जल आपूर्ति स्कीमों की कमीशनिंग द्वारा लास्ट माइल कनेक्टिविटी के जरिए क्रमश: आर्सेनिक और फ्लोराइड की समस्याओं से निपटने हेतु प्रत्येक के लिए 100 करोड़ रू तक की निधियां भी उपलब्ध कराई गई हैं।

इसके अलावा, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने लगभग 28000 आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित बसावटों में 4 वर्षों की अवधि में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत दिनांक 22 मार्च, 2017 को राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन की शुरूआत की है।

(च) गत दो वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत रिलीज और उपयोग में लाई गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-3** पर है।

अनुलग्नक-I

01.01.2018 को उत्तर दिए जाने हेतु राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1474 के उत्तर के भाग (ग) में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र.सं.	राज्य	2015-16		2016-17		2017-18 (27.12.2017 तक)	
		लक्ष्य (मंत्रालय अनुसार) (पीसी+क्यूए)	**उपलब्धियां**	**लक्ष्य (मंत्रालय अनुसार) (पीसी+क्यूए)**	**उपलब्धियां**	**लक्ष्य (राज्य द्वारा लिए अनुसार)**	**उपलब्धियां**
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	5	0	5	0	5	0
2.	आंध्र प्रदेश	980	1905	1005	1373	1005	553
3.	अरुणाचल प्रदेश	217	143	188	126	188	9
4.	असम	3993	1659	1752	382	1752	101
5.	बिहार	5692	7189	7777	1289	7777	246
6.	छत्तीसगढ़	3894	3670	4169	997	4169	399
7.	गोवा	2	0	2	0	2	0
8.	गुजरात	961	1193	32	1605	32	499
9.	हरियाणा	248	317	263	290	263	74
10.	हिमाचल प्रदेश	1115	1536	1300	938	1300	404
11.	जम्मू एवं कश्मीर	359	233	380	260	380	70
12.	झारखंड	7307	1868	1430	3074	1430	2701
13.	कर्नाटक	4551	19791	12000	17434	12000	6152
14.	केरल	429	432	463	291	463	158
15.	मध्य प्रदेश	5421	11478	338	7420	338	6712
16.	महाराष्ट्र	1611	1566	1955	1270	1955	177
17.	मणिपुर	52	80	50	103	50	21
18.	मेघालय	280	242	110	82	110	8
19.	मिजोरम	31	28	35	35	35	2
20.	नागालैंड	24	168	54	167	54	48
21.	उड़ीसा	8620	15224	9300	8196	9300	1454
22.	पुदुचेरी	5	0	5	0	5	0
23.	पंजाब	261	251	779	647	779	723
24.	राजस्थान	1963	2763	2039	2908	2039	2592
25.	सिक्किम	45	81	40	14	40	22
26.	तमिलनाडु	1494	1390	3269	2910	3269	937
27.	तेलंगाना	802	1669	915	1121	915	476
28.	त्रिपुरा	525	938	565	571	565	99
29.	उत्तर प्रदेश	2334	4300	1354	1838	1354	403
30.	उत्तराखंड	473	479	495	484	495	350
31.	पश्चिमी बंगाल	2497	5295	4766	5217	4766	2071
कुल		**56191**	**85888**	**56835**	**61042**	**56835**	**27461**

(स्रोत: फॉर्मेट सी- 14)

अनुलग्नक-II

01.01.2018 को उत्तर दिए जाने हेतु राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1474 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र.सं.	राज्य	रासायनिक संदूषण से प्रभावित आबादी वाले बसावटों की संख्या	
		बसावटें	आबादी
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0
2	आंध्र प्रदेश	418	318015
3	अरुणाचल प्रदेश	31	5690
4	असम	11024	4151182
5	बिहार	4231	4841880
6	छत्तीसगढ़	1170	305202
7	गोवा	0	0
8	गुजरात	0	0
9	हरियाणा	128	310424
10	हिमाचल प्रदेश	0	0
11	जम्मू एवं कश्मीर	16	35285
12	झारखंड	2896	1015414
13	कर्नाटक	1050	780535
14	केरल	363	812561
15	मध्य प्रदेश	187	83745
16	महाराष्ट्र	283	548304
17	मणिपुर	0	0
18	मेघालय	32	10637
19	मिजोरम	0	0
20	नागालैंड	30	16303
21	उड़ीसा	3051	988584
22	पुदुचेरी	0	0
23	पंजाब	3600	4332865
24	राजस्थान	19876	7999160
25	सिक्किम	0	0
26	तमिलनाडु	198	95765
27	तेलंगाना	1350	1971887
28	त्रिपुरा	2542	1195673
29	उत्तर प्रदेश	1379	1325148
30	उत्तराखंड	16	78893
31	पश्चिमी बंगाल	18812	18742021
कुल		**72683**	**49965173**

अनुलग्नक-III

01.01.2018 को उत्तर दिए जाने हेतु राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1474 के उत्तर के भाग (च) में उल्लिखित अनुलग्नक

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2015-16		2016-17		2017-18 (27.12.2017 तक)	
		रिलीज	व्यय	रिलीज	व्यय	रिलीज	व्यय
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.16	0	0.22	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	170.05	190.6	204	157.38	165.68	130.99
3	अरुणाचल प्रदेश	65.4	66.23	110.84	113.71	58.4	4.07
4	असम	284.11	216.2	348.06	206.61	158.8	139.05
5	बिहार	202.73	295.38	373.81	473.29	300.03	120.03
6	छत्तीसगढ़	60.83	64.64	84.28	65.66	31.23	36.9
7	गोवा	1.66	0	1.19	3.35	0	0
8	गुजरात	238.91	274.78	278.5	265.16	167.88	132.49
9	हरियाणा	122.65	150.74	111.53	116.42	83.55	52.11
10	हिमाचल प्रदेश	64.38	69.88	83.31	66.04	54.59	58.06
11	जम्मू एवं कश्मीर	192.12	222.16	225.14	219.94	87.74	90.81
12	झारखंड	132.09	133.7	131.74	157.89	123.43	94.85
13	कर्नाटक	278.08	366.68	343.72	341.33	123.58	155.66
14	केरल	48.05	64.45	75.22	74.21	70	24.78
15	मध्य प्रदेश	193.73	381.15	232.26	212.48	135.51	77.07
16	महाराष्ट्र	330.88	584	404.45	412.32	161.08	106.19
17	मणिपुर	27.92	43.44	40.61	18.87	26.58	41.94
18	मेघालय	31.24	30.92	40.42	49.29	34.27	18.87
19	मिजोरम	17.32	23.16	24.49	24.82	10.91	8.65
20	नागालैंड	38.53	61.9	36.84	40.2	12.81	13
21	उड़ीसा	103.19	165.25	134.96	100.59	44.98	27.94
22	पुदुचेरी	0	0	0.29	0	0	0
23	पंजाब	42.79	36.57	51.89	53.56	43.9	44.61
24	राजस्थान	526.75	480.21	1072.92	681.21	261.84	495.65
25	सिक्किम	12.05	12.49	19.42	16.51	2.91	7.74
26	तमिलनाडु	182.35	164.85	174.68	188.98	101.77	62.88
27	तेलंगाना	97.71	106.42	133.09	111.89	555.37	386.8
28	त्रिपुरा	31.68	39.97	43.73	38.73	28.85	20.43
29	उत्तर प्रदेश	490.31	690.46	621.95	639.54	234.14	363.62
30	उत्तराखंड	60.06	99.79	88.19	99.95	58.81	77.14
31	पश्चिमी बंगाल	216.85	288.75	440.15	444.86	737.29	198.38
Total		**4264.58**	**5324.77**	**5931.9**	**5394.79**	**3875.93**	**2990.7**

(स्रोत: फॉर्मेट डी-0)